प्रति,

सचिव
केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग
चंदलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ
नई दिल्ली – 110001

विषयः– **केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टेरिफ के नियम एवं शर्ते) अधिनियम'2019 प्रारूप सूचना बावद।**
संदर्भ :– सार्वजनिक सूचना क्रमांक L-1/236/2018/CERC दिनांक 14 दिसम्बर' 2018
आदरणीय महोदय,

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता, संदर्भित सार्वजनिक सूचना द्वारा प्रकाशित प्रारूप केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टेरिफ के नियम एवं शर्ते) अधिनियम 2919 जिसके द्वारा 1 अप्रेल' 2019 से 31 मार्च'2024 तक हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 सहपठित धारा 62 के तहत टेरिफ निर्धारण के नियम एवं शर्ते प्रस्तावित की गई है, मैं आम विद्युत उपभोक्ता की हैसियत से एक प्रभावित पक्ष है, अतः सुझाव / आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु सक्षम व्यक्ति है। अतः संदर्भित प्रारूप अधिनियम के संबंध में आपत्ति माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

प्रारम्भिक आपत्ति :– ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारूप अधिनियम प्रस्तावित करने के पूर्व लाभार्थी राज्य ; ठमदमपिबपंतल`जंजमेध क्पेबवउे द्ध एवं देश के आम बिजली उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत गृहों की पिछली कार्य दक्षता को पूर्णतः संज्ञान में लिया गया है। तथा प्रारूप अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पूर्व से ही अत्यंत अच्छी वित्तीय स्थिति वाले केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत गृहों को कमजोर वितरण कंपनियां, आम उपभोक्ता की कीमत पर और अधिक लाभ पहुॅचाना प्रतीत होता है। जिसके विरूद्ध निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। माननीय आयोग से निवेदन है कि प्रारूप अधिनियम को अंतिम रूप देने के पूर्व संदर्भित आपत्तियों का विधिपूर्वक निराकरण करने का कष्ट करेंगे।

1. संचालन मानक (Operational Norms) में बदलाव।

प्रारूप अधिनियम में संचालन मानकों में निम्न बदलाव प्रस्तावित है।

क्र.	संचालन मानक	ईकाई	वर्तमान टेरिफ अधिनियम' 2014	प्रस्तावित टेरिफ अधिनियम'2019	वृद्धि / कमी प्रतिशत में	संदर्भित पेरा	कैफियत
1	ताप विद्युत गृह की उपलब्धता (NPAF)	:	85	83	13	59(A)	
2	वार्षिक क्षमता शुल्क की गणना		वार्षिक	त्रेमासिक	–		
3	पीक अवर्स में वार्षिक क्षमता शुल्क	रू.	1	1.25	25%	51	
4	स्टेशन हीट रेट (SHR)	किलो केलोरी / यूनिट	2375	2460	3.6	52(b) 59(c)	85
5	सहायक यंत्रों में	%	5.25	5.75	10%	59(E)	

	विद्युत खपत						
6	कोयला परिवहन में ट्रांजिट एवं हेंडलिंग हॉनि (a) (1000 कि.मी.) दूरी	%	0.8	1.2	50%	48	
	(b)आयतित कोयले पर	%	0.2	0.8	400%	48	

केन्द्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत गृहों के संचालन मानको को शिथिल करण यह सिद्ध करता है कि वित्त वर्ष 2014–19 के 5 वर्षो के कार्यकाल के दौरान विद्युत गृहों की कार्यदक्षता में गिरावट परीलिक्षित हुई है, तथा इस अक्षमता का भार आम विद्युत उपभोक्ता पर भविष्य में थोपा जा रहा है जो कि पूर्णतः अनुचित है। संचालन मानको में छूट देने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की सिफारिशे दिनांक 10/12/2018 एक तरफा प्रतीत होती है, क्योंकि उनके द्वारा विद्युत गृहों के अध्ययन के अलावा, देश की वितरण कम्पनियों की आर्थिक स्थिति, उन पर पड़ने वाले प्रभाव तथा आम उपभोक्ता पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का कहीं कोई उल्लेख/अध्ययन नहीं है।

एक ओर जहां पिछले 5 वर्षो में विद्युत गृहों के संचालन में प्राद्योगिकी और अधिक विकसित हुई है, आटोमेशन बढ़ा है, रेल परिवहन व्यवस्था, कोल सेम्पलिंग में सुधार परीलिक्षित हुआ है, तथा लीकेज कम हुए है, उस स्थिति में मौजूदा मानको को और अधिक शिथिल करना विद्युत गृहों की अक्षमता को बढ़ावा देना प्रतीत होता है, जिसका भार आम बिजली उपभोक्ता को वहन करना पड़ेगा।

माननीय आयोग से निवेदन है कि वर्तमान टेरिफ अधिनियम' 2014–15 में अधिसूचित संचालन मानकों में किसी भी तरह की छूट न दी जावे। इसके विपरीत संचालन मानको को वर्तमान तकनीकी उन्नयन को दृष्टिगत रखते हुए आम बिजली उपभोक्ता के हित में और अधिक सशक्त किया जावे।

2. पूंजीगत लागत का प्रमाणीकरण–

पेरा 9(1) द्वितीय टीप में – विद्युत गृह की पूंजीगत लागत के प्रमाणीकरण हेतु वैधानिक रूप से आवश्यक आडिटर सर्टिफिकेट (Auditor Certificate) के स्थान पर मात्र प्रबंधन के प्रमाणीकरण को मान्यता देना उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि प्रारूप अधिनियम में उल्लेख है कि प्रबंधन प्रमाण पत्र के 60 दिनों के अंदर आडीटर सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक होगा। किन्तु उसके उल्लंघन पर कोई दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान नही है। जिससे एक बार टेरिफ निर्धारित हो जाने के बाद की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

3. राखड ;ीद्ध को बेचने से होने वाली आय–

पेरा 18(2) (i) एवं 18(3) (d) में – विद्युत गृह में कोयले की राखड के निपटान हेतु स्थापित किये जाने वाले सभी पूंजीगत सामानों की स्थापना को पूंजीगत लागत में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है, किन्तु राखड को बेचने से प्राप्त होने वाली राशि को अन्य आय (पेरा 72) में सम्मिलित कर तदनुसार वार्षिक क्षमता शुल्क कम किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्मरणीय है कि अनेको ताप विद्युत गृह जो कि मुख्यतः सीमेंट संयंत्रों के समीप है, के द्वारा करोड़ों रूपये राखड को बेचकर अर्जित किये जा रहे है। जिसका फायदा लाभार्थी राज्यों को वार्षिक क्षमता शुल्क में दिया जाना आवश्यक है।

4. **विद्युत गृह स्थापना की कट आफ डेट** –

पेरा 24 एवं 25 में विद्युत गृह की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ;क्च्व्द्ध में कोई प्रावधान न होने के बावजूद कोई पूंजीगत सामान की स्थापना पर कट आफ डेट के बाद अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु अनुमति प्रस्तावित की गई है, जो कि कट आफ डेट की परिभाषा को ही खत्म कर देगा, तथा विधि पूर्वक नहीं है। प्रारूप अधिनियम में उपरोक्त अतिरिक्त पूंजीकरण पर मौजूदा 15.5ः का लाभ प्रस्तावित न करना स्वयं सिद्ध करता है कि उपरोक्त पूंजीकरण अवैधानिक व गलत है।

5. **रिटर्न आन इक्विटी में कमी** –पेरा (30) में वार्षिक क्षमता शुल्क के निर्धारण हेतु रिटर्न आन इक्विटी (Return on Equity) में कोई कमी प्रस्तावित नही की गई है। जबकि 15.5% रिटर्न आन इक्विटी तब निर्धारित की गई थी जबकि बाजार की जमा ब्याज दर 13 से 14 प्रतिशत तक थी, जो कि वर्तमान में मात्र 6–7 प्रतिशत है। अतः वर्तमान परिपेक्ष में रिटर्न आन इक्विटी में कमी की जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

6. **विद्युत देयक के भुगतान की अवधि** :– पेरा 34 में वार्षिक क्षमता शुल्क की गणना हेतु कार्यशील पूंजी पर ब्याज में कुछ बदलाव किये गये है, जो कि अपर्याप्त है तथा लाभार्थी राज्यों के हितों के विपरीत है। क्योंकि पेरा 69 में उल्लेखित देयक के भुगतान में देरी पर लगने वाले शुल्क की वर्तमान समयावधि 60 दिन से घटाकर 45 दिन प्रस्तावित की गई है। अतः भुगतान अवधि घटाने पर समानुपातिक लाभ दिया जाना उचित होगा।

7. **सुरक्षा व्यय** (Security Expenses) - पेरा 35(6) में विद्युत गृह की सुरक्षा हेतु खर्च की गई राशि को पृथक से वसूलने का प्रस्ताव है, जो कि पूर्णतः गलत है। वर्तमान में विद्युत गृह हेतु निर्धारित संचालन साधारण व्यय (O & M Charge) विद्युत गृह की सुरक्षा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को सम्मिलित कर निर्धारित किया जाता है। पृथक व अतिरिक्त रूप से विद्युत की सुरक्षा हेतु व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव एक ही व्यय को दो बार वसूलने के समान होगी, जिसमें कि भविष्य में और भी अनेकों मद जैसे बीमा इत्यादि को सम्मिलित करने का प्रयास किया जा सकता है। अतः इसे पूर्णतः अस्वीकार करने का निवेदन है।

8. **बिजली की कम डिमांड की स्थिति** – इसके अतिरिक्त विद्युत गृह की इकाई लम्बे समय तक रिस्टिकट शट डाउन (RSD) की स्थिति में होने पर समानुपातिक संचालन संधारण व्यय / स्पेयर पार्टस व्यय कम किया जाना जनहित में होगा। क्योंकि ऐसा अवलोकन किया गया है कि विद्युत गृह की इकाई (RSD) पर होने पर जहॉ विद्युत उत्पादक को पूर्ण क्षमता शुल्क प्राप्त हो जाता है। जबकि देन्नदिन संचालन व्यय कम हो जाता है।

उपरोक्त संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि, सम्पूर्ण प्रारूप अधिनियम मात्र केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत गृहों के हितो को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किया गया है, जिससे कि पिछले 5 वर्ष 2014 से 2019 के मध्य केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत गृहों के संचालन व कार्य क्षमता में आई गिरावट को भविष्य में आम बिजली उपभोक्ता से वसूल करने का अनैतिक प्रयास किया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक व गलत है। माननीय आयोग से निवेदन है कि केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत गृहों को और अधिक लाभान्वित न करते हुए लाभार्थी राज्य व आम बिजली उपभोक्ता के हितों को वरीयता में रखते हुए आदेश पारित करने का कष्ट करेंगे।

हम, व्यक्तिगत रूप से जनसुनवाई में सम्मिलित होकर उपरोक्त बिन्दुओं को स्पष्ट रूप से व्याख्या करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान करते है। कृपया तदनुसार जनसुनवाई में अवसर प्रदान करने का निवेदन है।

जबलपुर
दिनांक : 11/01/2019

भवदीय

(राजेन्द्र अग्रवाल)
1995/ए ज्ञान विहार कालोनी
नर्मदा रोड जबलपुर – 482008
मो. 94258–02444

(राजेश चौधरी)
101, डी.एन.जैन शापिंग काम्पलेक्स
जबलपुर 482002
मो. 98935–77701